रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267579
CG-DL-E-12112025-267579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4928]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947
No. 4928]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2025

का.आ. 5083(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 64(अ), दिनांकित 18 जनवरी, 2005 के द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-224 (नया रारा-57) (खोरधा - बलांगीर) को ओडिशा राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे उक्त 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-57 (पुराना रारा-224) के नयागढ़ - खोरधा खंड के डिजाइन चैनेज किमी 239.900 से किमी 294.300 तक के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 49.689 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई और 3.975 किमी [0.3975 किमी लंबाई वाली, तालिका-4) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले बाईपास खंड के 2.976 किमी (तालिका-3) लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% पर, नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर .रु) (में**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ : धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे शुल्क प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

	तालिका-2	
पथकर प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	**लंबाई जिसके लिए फीस संदेय (किमी में) है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
ओडिशा राज्य के खोरधा जिले में टिकतला गांव के निकट किमी 273/000 पर	49.689 किमी [संरचना की लंबाई (>60मी) और बाइपास की लंबाई ≤)10 करोड़ रुकी . को छोड़कर (लागत वाले]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

तालिका-3						
शुल्क प्लाजा का (चैनेज) अवस्थान	**बाइपास का नाम**	**शुरू होने वाला**	**पर मिलने वाला**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**		**दर, जिस पर फीस संदेय है**
				लंबाई (किमी)	**लागत (करोड़ रु.)**	
ओडिशा राज्य के खोरधा जिले में टिकतला गांव के निकट किमी 273/000 पर	रारा-57 का बाघमारी बाइपास	किमी 282/100	किमी 285/200	2.976 [संरचना की लंबाई (>60मी) को छोड़कर]	53.25	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके समतुल्य फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (मीटर में)	समतुल्य सड़क लंबाई किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
ओडिशा राज्य के खोरधा जिले में टिकतला गांव के निकट किमी 273/000 पर	0.3975^	3.975	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^विवरण निम्न है: -

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	247/970	248/078	बड़ा पुल	0.1080
2	250/240	250/405	बड़ा पुल	0.1650
3	284/250	284/3745	बड़ा पुल	0.1245
कुल				**0.3975**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दोतिहाई-	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की (50% होगी) बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के

प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथाउल्-लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एकएक समाचार पत्र में प्रकाशित किया - जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 258.02 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/बीबीएसआर/11011/57/ओआरएस/2016-17/590/बीबीएसआर-ई/197280]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2025

S.O. 5083(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.64 (E) dated the 18th January, 2005 issued under section under section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the NH-224 (New NH-57) (Khordha - balangir) in the State of Odisha to the State Government of Odisha.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said “rules”), the Central Government, hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 49.689km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 3.975 Km (having length of 0.3975 Km, Table-4) and at 90 % for two lane with paved shoulders of the base rate for bypasses having length of 2.976 Km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of table-1 below for use two lane with paved shoulders of Nayagarh-Khordha section from design chainage Km 239.900 to Km 294.300 of National Highways-57 (old NH-224) in the state of Odisha and authorises National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through contractor, the said fee, namely: -

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep van or Light Motor Vehicle	0.65

Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicle	2.40
Heavy construction machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the net road length Specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Design Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 273/000 near village Tikatala in Khordha District of the State of Odisha	49.689 [Excluding length of structure (>60m) and Bypass (cost ≥Rs 10cr)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In Addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10.00 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of Bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (Rs in Crore)	
At Km 273/200 near village Tikatala in Khordha District of the State of Odisha	Baghamari Bypass of NH-57	Design Km 282/100	Design Km 285/200	2.976 (Excluding length of structure >60m)	53.25	90% for two Lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s) by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 273/200 near village Tikatala in Khordha District of the State of Odisha	0.3975^	3.975	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^Details are as under:-

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	247/970	248/078	Major Bridge	0.1080
2	250/240	250/405	Major Bridge	0.1650
3	284/250	284/3745	Major Bridge	0.1245
Total				0.3975

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometres from the Toll plaza is Rs.340.00 (Rupees:Three Hundred & Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for One way Journey	Two	Twenty four hours from the time of Payments
Two-third of amount of the fee Payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicle, its permissible load, category of exempted vehicle, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is 258.02 Crore .The capital cost is subject to variation as the activities of Diversion of forest land, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized

[F. No. RO/BBSR/11011/57/ORS/2016-17/590/BBSR /E- 197280]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.12 15:41:06 +05'30'